भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1606
21 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

ओडिशा में सहकारी ढांचे को मजबूत बनाना

1606# श्रीमती ममता मोहंता:

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की ओडिशा राज्य में सहकारी ढांचे को मजबूत करने की कोई योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ओडेशा में सहकारी ढांचे को मजबूत करने के लिए कोई राशि आवंटित की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सहकारी संस्थाओं को बढ़ावा देने के लिए देश भर में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(घ) जिन योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना प्रस्तावित है, उनका ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सहकारिता के क्षेत्र में विशेषकर ओडिशा राज्य में जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ड.): सहकारिता मंत्रालय ओडिशा राज्य और इसके आदिवासी क्षेत्रों सहित देश भर में सहकारी क्षेत्र के पुनरुत्थान और मजबूतीकरण के लिए निम्नलिखित योजनाओं को लागू कर रहा है:

- 2,516 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत पर देश भर में 63,000 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना।
- सहकारी क्षेत्र के लिए तत्कालीन केंद्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सी. एस. आई. एस. ए. सी.) के तहत सहकारी समितियों को सब्सिडी/अनुदान के रूप में वर्ष 2021-22 में 341.67 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 47.9 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता।

इसके अलावा, सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए राज्यों के सक्रिय सहयोग से, कई पहल की हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- पंचायत स्तर पर पैक्स को बहुउद्देश्यीय जीवंत आर्थिक संस्थाओं में बदलने के लिए मॉडल उपनियम।
- सभी हितधारकों के परामर्श से राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का निर्माण।

- शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सी.जी.टी.एम.एस.ई.) के तहत सदस्य ऋण देने वाली संस्थाओं (मेम्बर लेंडिंग इन्स्टिच्यूशन) के रूप में शामिल करना।
- "खरीददारों" के रूप में जेम (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों की ऑनबोर्डिंग।

सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों के अलावा, अन्य मंत्रालय/विभाग भी सहकारी समितियों को लाभ प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाएँ चला रहे हैं जैसे:

- कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.) – यह फार्म गेट पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए 2 करोड़ रुपये तक का ऋण लेने के लिए 3% का ब्याज सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है।
- कृषि विपणन अवसंरचना (ए.एम.आई.) – यह विपणन सुविधाओं के लिए कृषि अवसंरचना के निर्माण हेतु 25 से 33% सब्सिडी प्रदान करती है।
- डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डी.आई.डी.एफ.) – यह राज्य डेयरी संघों, जिला दुग्ध संघों आदि को नई दूध प्रसंस्करण इकाइयां, दूध परीक्षण उपकरण आदि स्थापित करने के उद्देश्य से 2.5% का ब्याज सबवेंशन प्रदान करती है।
- प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) – यह विभिन्न मत्स्य गतिविधियों के लिए 40% तक सब्सिडी प्रदान करती है।

अब तक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने ओडिशा राज्य में सहकारी समितियों को 3,333.21 करोड़ रुपये की राशि वितरित की है।

*****